FORM 3 [See rule 54(12)] Details of Family

	0 2 0	
1	सरकारी कर्मचारी का नाम	
1.	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Name of the Government servant

2. पदनाम / Designation :

3. जन्म तिथी / Date of birth :

परिवार के सदस्यों का विवरण

Details of the members of family as on

SL. No	Names of the members of family	Date of birth	Relationship with the official	Marital status	Remarks	Dated Signature of Head of Office
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

मैं इसके द्वारा कार्यालय प्रमुख को किसी भी अतिरिक्त या परिवर्तन के बारे में सूचित करके उपरोक्त विवरण को नवीनतम रखने का वचन देता हूं। / I hereby undertake to keep the above particulars up-to-date by notifying to the Head of the Office any addition or alteration.

	_				
ı	١)	a	+	0	٠
	•	7		С.	

Place:

हस्ताक्षर / Signature of Government servant

नोट 1- सरकारी कर्मचारी द्वारा जमा किया गया मूल फॉर्म अपने पास रखना होगा। सभी परिवर्धन/परिवर्तन इस फॉर्म में कॉलम 7 में कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर के तहत दर्ज किए जाने हैं। कोई भी नया फॉर्म मूल फॉर्म का स्थान नहीं लेगा। हालाँकि, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को फॉर्म 5 के साथ परिवार का विवरण नए सिरे से जमा करना होगा।

The original Form submitted by the Government servant is to be retained. All additions /alterations are to be recorded in this Form under the signature of Head of Office in Column 7. No new Form will substitute the original Form. However, the retiring Government servant should submit the details of family afresh along with Form 5.

नोट 2 - पति/पत्नी, सभी बच्चों और माता-पिता (पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं या नहीं) और विकलांग भाई-बहन (भाई-बहन) का विवरण दिया जा सकता है।

The details of spouse, all children and parents (whether eligible for family pension or not) and disabled siblings (brothers and sisters) may be given.

नोट 3 - कार्यालय प्रमुख 'टिप्पणी' कॉलम में परिवार में शामिल होने या परिवर्तन के संबंध में संचार की प्राप्ति की तारीख का संकेत देगा। परिवार के किसी सदस्य की विकलांगता या वैवाहिक स्थिति में बदलाव से संबंधित तथ्य भी 'टिप्पणी' कॉलम में दर्शाया जाना चाहिए। The Head of Office shall indicate the date of receipt to communication regarding addition or alteration in the family in the 'Remarks' column. The fact regarding disability or change of marital status of a family member should also be indicated in the 'Remarks' column.

नोट 4 - पत्नी और पति में न्यायिक रूप से अलग हुए पत्नी और पति शामिल होंगे। Wife and husband shall include judicially separated wife and husband.